न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 14/2010 **दायर तारीख :–** 19-03-2010

1. प्रहलाद पुत्र श्री रतन लाल (फौत)
   1/1. कमला देवी पत्नि प्रहलाद
   1/2. किशनलाल } पुत्रान प्रहलाद
   1/3. सुनिल कुमार }
   1/4. मंजू देवी
   1/5. सुमन देवी } पुत्रियान प्रहलाद
   1/6. सुमित्रा देवी
   1/7. पुष्पा देवी

   जाति मीणा निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

— वादीगण

बनाम

1. छाजू पुत्र श्री सरदार जाति गुर्जर निवासी बंदमुजफरपुरा (कुहाडा) तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. कालूराम } पुत्रान लक्ष्मण कुमार शर्मा
3. विकाश }
4. ममता } पुत्रियान लक्ष्मण कुमार शर्मा
5. सीमा }
6. लक्ष्मण कुमार पुत्र श्री भोलाराम (फौत)

   समस्त जाति गुर्जर निवासी पटेलों का मौहल्ला, विराटनगर तहसील विराटनगर, जयपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
श्री महेश कुमार मुद्गल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 6
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 18.03.2021

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम विराटनगर के खसरा नम्बर 2674/4781 रकबा 0.06 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की माता व प्रतिवादी संख्या 6 की पत्नि श्रीमती ग्यारसी देवी पुत्री गैंदालाल का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की उपरोक्त आराजी जयपुर अलवर राजमार्ग से बतरफ उत्तर से लगती हुई एवं बस स्टेण्ड से बतरफ पूर्व में आबादी क्षेत्र की बीच में स्थित है, जिसकी दक्षिण सीमा पर रोड की तरफ दुकाने बनी हुई है एवं पीछे का हिस्सा खाली है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर उक्त आराजी का उत्तर–दक्षिण लंबाई एवं पूर्व–पश्चिमी चौडाई में बाहमी बंटवारा कर रखा है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

एवं अपने–अपने हिस्से में रोड की तरफ दुकानें बना रखी है तथा पीछे के अपने हिस्से को सुविधा के अनुसार उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। सिंचाई के लिए पानी के अभाव में खेती नहीं होती है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए आपसी मनबट के अनुसार उक्त खातेदारी भूमि का पश्चिमी हिस्सा वादी के बट में आया हुआ है शेष पूर्व का हिस्सा प्रतिवादीगण के बंट में आया हुआ है। परन्तु वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी रूप से कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। फिर भी प्रतिवादीगण वादी के हिस्से को आज तक मान्यता देते आए है, जिसके विपरीत अन्य कुछ भी नया कहने या करने से लॉ ऑफ एस्टोपल एण्ड एम्बीसेंस से एस्टोप्ड है। यह् है कि संयुक्त आराजी में रहते प्रत्येक सह खातेदार का संयुक्त खातेदारी भूमि पर समान हक अधिकार होता है फिर भी मौके पर हुए आपसी मनबट के अनुसार पृथक–पृथक भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने का सभी सहखातेदारों को पूर्ण हक अधिकार है कोई भी सह खातेदार दूसरे सह खातेदार के हक एवं हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग–उपभोग में दखल अंदाजी करने का हक नहीं रखता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सह खातेदारी का बंटवारा कराये बिना निर्माण कार्य करने से अब सह खातेदारी में रहते भूमि की काश्त करना एवं उपयोग–उपभोग करना संभव नहीं रहा है। आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम विराटनगर के खसरा नंबर 2674/4781 रकबा 0.06 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 यानि 0.02 हैक्टेयर भूमि बतरफ पश्चिम वाकै ग्राम विराटनगर का वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर लगान का भी बंटवारा किया जावे, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं वादी के हिस्से की भूमि से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावें। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम विराटनगर खाता संख्या 224 संवत् 2065–2068, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम विराटनगर आदि पेश किए गये।
4. प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से जवाब दावा में कथन रहे कि प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 का भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं है। मृतक खातेदार ग्यारसी देवी के हिस्से पर उसकी बहिन का लडका हरिश दत्तक पुत्र गैंदालाल काबिज रहा है। ग्यारसी के हिस्से की भूमि का हरिश कुमार दत्तक गैंदालाल ने अन्य कई दीगर व्यक्तियों को दुकानों के प्लॉट के रूप में बेचा दिया है। खरीदरान मौके पर दुकान बनाकर काबिज है। वादी ने भी अपने हिस्से की भूमि को दुकानों के प्लॉट के रू में व आवासीय उपयोग में दीगर व्यक्तियों को बेच दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 अवश्य अपने हिस्से 1/3 की भूमि पर काबिज है। वादी ने वादी व प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का उपयोग उपभोग करना गलत दर्ज किया है। पक्षकारों ने भूमि की स्थिति को देखते हुए

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

रोड साइड में नौ फुट चौडी पूर्व पश्चिम एवं 15 फुट लम्बा, 14 दुकाने बनाने का निश्चयकर भूमि का बंटवारा आपसी सहमति का भूमि खरीदी के थौडे दिन बाद ही कर लिया गया। आपसी सहमति के बंटवारे में रोड साईड में जो दुकानों की जगह कायम की गई उसका नजरी नक्शा संलग्न है जो की जवाब दावें का भाग हैं। बाहमी बंटवारे से वादी प्रहलाद के हिस्स में दुकान नंवर 3, 4, 5, 6 को सम्पूर्ण भूमि एवं दुकान नंवर 7 व 14 का आधा हिस्सा रहा था दुकान नंवर 7 व 14 का शेष आधा हिस्सा व दुकान नंवर 8, 9, 10, 11 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से में रही थी। शेष दुकानों की जगह ग्यारसी देवी के हिस्से में रही थी जिस पर उसका बहिन का लडका हरिश कुमार दत्तक पुत्र गैंदालाल काविज रहा है। हरिश कुमार का उक्त खसरा की भूमि में पहले 1/3 हिस्सा था, जिसे उसने प्रतिवादी संख्या 1 को सन 1993 में विक्रय कर दिया था। वादी का इस समय दुकानों की किसी भी भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं है। उसने अपनी हिस्से में आई हुई दुकानों की भूमि में से दो दुकान नंवर 3 व 5 को भूमि को सन 1995 में मुबलिग 85000/- रूपये में धीसाराम पुत्र रूपाराम गुर्जर निवासी कुहाडा को इकरारनामा के जरिये विक्रेय पत्र कर दिया था इस संबंध में दिनांक 26.05.1995 को मेरी मौजूदगी में वादी ने 5 रूपये के एक स्टाम्प पर खरीददार धीसा रावत के पक्ष में इकरारनामा विचौतीनामा भी लिखावकर खरीददार को दिया था। खरीददार ने अपनी खरीद शुदा भूमि पर दुकाने बना रखी है। दुकान नंवर 5 व 6 की भूमि को भी वादी ने गिरधारी पुत्र गणपत गुर्जर को सन 1995 में ही विक्रय कर दी थी। बाद में सन 1998 में गिरधारी से इन दोनों दुकानों की जगह को हरिसिंह पुत्र मानाराम सिन्धू को जरिये एग्रीमेन्ट क्रय कर लिया था। हरिसिंह ने खरीद के बाद यहां दुकाने बना रखी है। दुकान नंवर 7 व 13 वादी एवं प्रतिवादी के साझे में रही थी। इन दोनों को भी वादी ने क्रमश सुरजारावत निवासी विराटनगर को एवं ढाणी महन्दौला के गैन्दालाल स्वामी पटवारी को विक्रय कर दिया था, जिसमें वादी ने दुकान नंवर 7 को विक्रय मूल्य राशि में से आधी राशि को प्रतिवादी संख्या 1 को अदा की थी किन्तु दुकान नंवर 14 की राशि को अकेले वादी प्रहलाद पटवारी ने रखली थी। मौके पर दुकान नंवर 12 व 13 की जगह दुकान बनी हुई है, जिन्हें विराटनगर के राधेश्याम पटवारी ने खरीद रखा है। व काविज है। वादी ने अपने हिस्से की दुकानों की पीछे की जगह को भी सरदारानाथ पुत्र सुवानाथ जोगी निवासी पापडा को विक्रय कर रखा है। वादी की भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं हे। वादी को वाद लाने का कोई हक अधिकार नहीं है। दुकान नंवर 8, 9, 10, 11 की जगह एवं इसके पीछे की खाली जगह तथा दुकान नंवर 7 व 13 के पीछे की 1/2 हिस्से की जगह प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से व कब्जे की भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी दुकानों संख्या 8, 9, 10, 11 की जगह में पुख्ता दुकानों मय गैलरी बना रखी है। तथा उपर चौबारा बना रखा है। गैलरी दुकान नंवर 9 व 10 के मध्य बनी हुई है। तथा दुकान के पीछे के 6 फुट चौडी नाल सीढिया बनी हुई है। तथा सीढिया के पश्चिम साईड में दुकान नंवर 10 की पीछे लैट्रिन बनाने के लिए नींव बनी हुई हैं तथा निर्माण हेतू पत्थर आदि डाल रखे है। पक्षकारान के मध्य आपसी बंटवारा

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

सरदारा नाथ पुत्र सुवानाथ पापडा एवं सुरजाराम पुत्र झूंथा रावत निवासी विराटनगर की मौजूदगी में किया गया था। इस प्रकार वादी ने विवादित खसरा नंबर 2674/4781 के अपने हिस्सा 1/3 की सम्पूर्ण भूमि का विक्रय काफी वर्षो पहले से कर रखा है। एवं वादी की भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा अथवा हक अधिकार नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि में दुकानों की पीछे लैट्रिन निर्माण हेतू नींव काफी दिनों पहले की भरी हुई है। प्रतिवादी ने अब निर्माण चालू करने बाबत पत्थर आदि सामान कुछ दिन पूर्व डलवाया है वादी ने प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रतिवादी के निर्माण कार्य में रूकावट डालने की नियत से गलत तथ्य दर्ज कर वाद पत्र पेश किया है। वादी को प्रतिवादी के हक व हिस्से की भूमि में निर्माण कार्य को रोकने अथवा रूकवाने को कोई हक व अधिकार नहीं है। वादी ने स्वयं के वाद पत्र में भूमि का पक्षकारों के मध्य काफी समय से बाहमी बंटवारा किया हुआ है एवं बाहमी बंटवारे के अनुसार पक्षकारगण भूमि का उपयोग–उपभोग करते रहे है। वादी ने बाहमी बंटवारे से उसके हक व हिस्से को सम्पूर्ण भूमि का विक्रय एग्रीमेंट के आधार पर कर दिया जिस पर केतागणों काबिज है तो अब वादी द्वारा भूमि के उपयोग–उपभोग करने व भूमि का पुनः बंटवारा कराने का सवाल ही नहीं रहा है। चूंकी वादी ने राजस्व में हानि पंहूचाने की नियत से सारा विक्रय जबानों व पांच रूपये की स्टाम्प पर किया है। अतः केतागणों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया है। व वादी का नाम पूर्ववत दर्ज है। जिसको नाजायज फायदा उठाने की नियम से ही वादी ने उक्त वाद पत्र पेश किया हैं। वादी ने अपने हक व हिस्से को सम्पूर्ण भूमि का बेचान जरिये एग्रीमेंट व बेचान विभिन्न व्यक्तियों को सन 1995 में ही कर चुका हैं। केतागण मौके पर खरीद के समय में ही काबिज हैं वादी को गत 12 वर्ष से भी अधिक अर्से से भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा किसी प्रकार का नहीं रहा है। विवादित खसरा नंबर आबादी क्षेत्र में स्थित है, जिसका उपयोग गत 12 वर्षो से भी अधिक अर्से से वाणिज्यिक रूप से हो रहा है। मौके पर भूमि वाणिज्यिक उपयोग में आ रही है, जिसमें दुकाने बनी हुई है। कोई काश्त नहीं हा रही है। अतः वाद पत्र सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है। अतः वादी कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वाद का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज योग्य हैं।

5. प्रकरण में तनकीयात कायम की गई–

(1). आया वादी भूमि खसरा नंबर 2674/4781/0.06 हैक्टेयर वाकै ग्राम विराटनगर के बाहमी बंटवारे के अनुसार पश्चिमी 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

— जिम्मेवादी

(2). आया वादी बरूये जिमन नंबर 4 जवाब दावा अपने हिस्से की दुकानो व उनके पीछे की भूमि को अजजायद 12 वर्ष पहले से ही जबानी व लिपिकय इकरार पर दीगर व्यक्तियों को विकय कर दी थी व उसका भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं है। व उसका हक अधिकार समाप्त हो गया है। व केतागण काबिज है।

—जिम्मे प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

(3). यह कि आया भूमि मौके पर गत 12 वर्ष से भी अधिक अर्से से वाणिज्यिक उपयोग में ली जा रही है। उसमें दुकाने बनी हुई है। काश्त नहीं हो रही है। अतः मान्य न्यायालय को उक्त वाद पत्र सुनने का अधिकार नहीं है।

— जिम्मे प्रतिवादीगण

(4). आया दावा मियाद बाहर पेश किया है। —जिम्मेप्रतिवादीगण

(5). दादरसी

6. पत्रावली तारीख पेशी दिनांक 15.06.2015 को लाक अदालत में पेश हुई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का है। तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।
7. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
8. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।
9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम विराटनगर के खसरा नम्बर 2674/4781 रकबा 0.06 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3, श्रीमती ग्यारसी देवी पुत्री गैंदालाल का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील वादी के निवेदन पर बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर एतराज प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर पुनः तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने हेतू तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर से का बंटवारा प्रस्ताव को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की तरफ से कुर्रेजात रिपोर्ट पर एजराज कुर्रेजात रिपार्ट प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस एतराज कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की तरफ से प्रस्तुत एतराज

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जम्मुर)

कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

10. प्रकरण में नेक दृष्टांत के रूप में RRD 1995, RRD APRIL 2003, RRD Aug, 2005, RRT 2011-12(Supp.), RRT 2017 (1), RRD 1996, RRD Feb., 2002, RRT 2007(1), RRT 2017(1), RRD 1995, RRD Oct, 2006, RRD 1998 आदि पेश किए है।

11. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	प्रहलाद पुत्र रतनलाल मीणा सा. देह खातेदार	2674/4781/रकबा 0.02 हैक्टेयर
2	छाजूराम पुत्र सरदारा गुर्जर	2674/4781/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर
3	ललित कुमार पुत्र ग्यारसी देवी हिस्सा 1/4, विकास कुमार पुत्र ग्यारसी देवी हिस्सा 1/4, ममता पुत्री ग्यारसी देवी हिस्सा 1/4, सीमा पुत्री ग्यारसी देवी हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण सा. देह	2674/4781/2 रकबा 0.02 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 18.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. प्रहलाद पुत्र श्री रतन लाल (फौत)
   - 1/1. कमला देवी पत्नि प्रहलाद
   - 1/2. किशनलाल } पुत्रान प्रहलाद
   - 1/3. सुनिल कुमार }
   - 1/4. मंजू देवी
   - 1/5. सुमन देवी } पुत्रियान प्रहलाद
   - 1/6. सुमित्रा देवी
   - 1/7. पुष्पा देवी

   जाति मीणा निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

— वादीगण

बनाम

1. छाजू पुत्र श्री सरदार जाति गुर्जर निवासी बंदमुजफरपुरा (कुहाडा) तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. कालूराम } पुत्रान लक्ष्मण कुमार शर्मा
3. विकाश }
4. ममता } पुत्रियान लक्ष्मण कुमार शर्मा
5. सीमा }
6. लक्ष्मण कुमार पुत्र श्री भोलाराम (फौत)

   समस्त जाति गुर्जर निवासी पटेलों का मौहल्ला, विराटनगर तहसील विराटनगर, जयपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 14/2010 **दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी** व हाजरी .....मिन जानिब मुददई रूबरू **श्री महेश चन्द्र मुदगल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि वाकै ग्राम विराटनगर के खसरा नंबर 2674/4781 रकबा 0.06 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 यानि 0.02 हैक्टेयर भूमि वतरफ पश्चिम वाकै ग्राम विराटनगर का वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर लगान का भी बंटवारा किया जावे, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं वादी के हिस्से की भूमि से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावें। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें। **सुना गया** अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	प्रहलाद पुत्र रतनलाल मीणा सा. देह खातेदार	2674/4781/रकबा 0.02 हैक्टेयर
2	छाजूराम पुत्र सरदारा गुर्जर	2674/4781/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर
3	ललित कुमार पुत्र ग्यारसी देवी हिस्सा 1/4, विकास कुमार पुत्र ग्यारसी देवी हिस्सा 1/4, ममता पुत्री ग्यारसी देवी हिस्सा 1/4, सीमा पुत्री ग्यारसी देवी हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण सा. देह	2674/4781/2 रकबा 0.02 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 18.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 18.03.2021** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फ़ार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)